



OFFICE OF THE CO-ORDINATOR PRE. D.EL. ED. - 2025
Vardhman Mahaveer Open University, Kota



S. No. – VMOU/PreD.El.Ed./2025/591

Date:17.09.2025

अधिसूचना :- 15/2025

राजस्थान में संचालित विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों में दो वर्षीय डी. एल. एड. (सामान्य/संस्कृत) परीक्षा (Formerly Known as BSTC) पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 के लिए सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया बंद की जाती है एवं निर्णयानुसार प्रवेश से वंचित रहे अभ्यर्थियों को फीस राशि रिफंड करने हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार जारी किया जाता है :-

1. ऑनलाईन बैंक खाता विवरण सत्यापन - 11.09.2025 से 23.09.2025

दूरभाष संख्या: - 9116828238

ई-मेल आईडी : - helpdeskpredeled@vmou.ac.in

समन्वयक

प्री डी. एल. एड. परीक्षा 2025



OFFICE OF THE CO-ORDINATOR PRE. D.EL. ED. - 2025

Vardhman Mahaveer Open University, Kota



अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

प्री डी.एल.एड. परीक्षा- 2025 में प्रवेश से असफल रहे अभ्यर्थियों को पंजीयन शुल्क राशि लौटाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश-

प्री डी.एल.एड. परीक्षा, 2025 के लिए ऑनलाइन काउन्सलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न होने के पश्चात प्रवेश से असफल रहें अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग पंजीयन शुल्क एवं प्रवेश शुल्क राशि लौटाई जानी है। रिफंड हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर अभ्यर्थी द्वारा दिए गए बैंक खाता विवरण को सत्यापित करने के उपरान्त अभ्यर्थी के खाते में रिफंड किया जाएगा। बैंक खाता वेरीफाई हेतु पोर्टल दिनांक 18.09.2025 से 26.09.2025 तक खोला जा रहा है। पोर्टल पर बैंक खाता विवरण वेरीफाई हेतु अभ्यर्थी निम्नांकित तथ्यों का विशेष ध्यान रखें :-

1. ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान का आवंटन नहीं हुआ है, उनके द्वारा जमा शुल्क राशि रु. 3000/- में से राशि रु.100/- रुपये काटकर शेष राशि रिफंड की जाएगी।
2. ऐसे अभ्यर्थी जिनको अध्यापक शिक्षा संस्थान का आवंटन हुआ है परन्तु उनके द्वारा संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं की गई है, ऐसे अभ्यर्थी के जमा कुल राशि में से राशि रु. 500/- रुपये काटकर शेष राशि रिफंड की जाएगी।
3. ऐसे अभ्यर्थी जो कि गलत तथ्यों अथवा मिथ्या सूचनाओं को प्रविष्ट करने, अर्जित योग्यता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करने तथा गलत केटेगरी (संवर्ग) में अपने आपको पंजीकृत करने इत्यादि के आधार पर प्रवेश हेतु अयोग्य घोषित हुए हैं उनकी पंजीकरण शुल्क रुपये 3000 काटकर शेष राशि रिफंड की जाएगी।
4. उपरोक्त बिंदु 01 से 03 के अतिरिक्त अन्य ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी कारणवश अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं, उन्हें जमा राशि में से रु. 1000/- काटकर शेष राशि रिफंड की जायेगी।
5. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्री डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है परन्तु आकस्मिक मृत्यु हो गई है ऐसे प्रकरणों में समुचित दस्तावेज अध्यापक शिक्षा संस्थान के माध्यम से प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी के माता-पिता / पत्नी के बैंक खाते में प्राप्त सम्पूर्ण शुल्क को रिफंड किया जायेगा।
6. बैंक खाता वेरीफाई में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर समन्वयक कार्यालय की हेल्पलाइन नंबर/ईमेल पर संपर्क करें।
7. रिफंड हेतु अभ्यर्थी द्वारा सर्वप्रथम रिफंड पोर्टल पर जाकर प्रदर्शित हो रही आवश्यक जानकारी भरना होगा। आवश्यक जानकारी भरने के पश्चात अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिए गए दो मोबाईल नं. प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी जिस भी मोबाईल नं. पर OTP प्राप्त करना चाहेंगे, उस मोबाईल नं. का चयन करना होगा। मोबाईल पर प्राप्त OTP भरने के उपरान्त अभ्यर्थी रिफंड पोर्टल पर लॉग इन हो सकेगा।
8. यदि किसी स्थिति में प्रदर्शित हो रहे दोनों मोबाईल नम्बरों के अलावा किसी अन्य मोबाईल नं पर अभ्यर्थी OTP प्राप्त करना चाहता है तो उस स्थिति में अभ्यर्थी वहां प्रदर्शित हो रहे Change ऑप्शन पर जाकर अपने मोबाईल नंबर में संशोधन कर सकता है।

9. रिफंड पोर्टल पर लॉग इन होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिए गए बैंक खाता का सम्पूर्ण विवरण प्रदर्शित होगा। विवरण यदि सही है तब अभ्यर्थी उसे वेरीफाई करे एवं कैसिल चेक अथवा बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ को Scan कर अपलोड करे, ध्यान रहे कि अपलोड किया गया कैसिल चेक / बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ पठन योग्य व सुस्पष्ट हो। अभ्यर्थी बैंक खाता वेरीफाई प्रक्रिया पूर्ण करे। बैंक खाता वेरीफाई प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वेरीफाई रसीद को प्रिंट लेकर अपने पास संभाल कर रखें।
10. यदि अभ्यर्थी प्रदर्शित बैंक खाता विवरण में संशोधन करना चाहता है अथवा नवीन बैंक खाता उपलब्ध करवाना चाहता है तब अभ्यर्थी Edit में जाकर अपने बैंक खाते का विवरण पुनः भरे एवं कैसिल चेक अथवा बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ को Scan कर अपलोड करे, ध्यान रहे कि अपलोड किया गया कैसिल चेक / बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ पठन योग्य व सुस्पष्ट हो।
11. वेरीफाई करने के उपरांत अभ्यर्थी स्वयं के लॉगिन पर नियमित रूप से लॉगिन करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है।
12. खाते की गलत जानकारी देने पर होने वाली किसी भी वित्तीय हानि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा व इस संबंध में किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को सावधान किया जाता है तो बैंक खाता विवरण सावधानीपूर्वक मिलान करने के उपरांत ही सत्यापित करें।

समन्वयक
प्री डी.एल.एड. परीक्षा 2025